



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 443) पटना, बुधवार 6 मई 2026

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
सैनिक कल्याण निदेशालय

कार्यालय आदेश
4 मई 2026

सं० सै0क0नि0/04/12/2025-686—गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अन्तर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या-02/25 के आधार पर उनके पत्रांक-1620/आ0 दिनांक-08.04.2026 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-2 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त/पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	अनुक्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि/कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	पूर्व सार्जेंट विकाश चन्द्र शर्मा	श्री सुरेन्द्र शर्मा	ग्राम-रौजा, पो0-आरा, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर-802301 (बिहार)।	22250363	29.09.1985	UR EBC	जि0सै0 क0का0, गया।
2	पूर्व हवलदार जितेन्द्र कुमार	श्री लालदेव यादव	ग्राम-मोहब्बत परसा के टोला, पो0-मोहब्बत परसा, थाना-रेवेलगंज, जिला-सारण पिन-841305 (बिहार)।	22250321	15.02.1986	UR BC	जि0सै0 क0का0, सारण।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	अनुक्रमांक	जन्म तिथि	अनुशासित कोटि / कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
3	पूर्व पी0ओ0 सुरज कुमार	श्री कामेश्वर साव	ग्राम—मइ, पो0+थाना—परवलपुर, जिला—नालंदा—803114 (बिहार)।	22251083	30.10.1990	<u>UR</u> EBC	जि0सै0 क0का0, मुंगेर।
4	पूर्व हवलदार अभिनित कुमार	श्री महेश कुमार	मो0—गौधी आश्रम, पो0—हाजीपुर, थाना—टाउन थाना, जिला—वैशाली पिन—844101 (बिहार)।	22250742	01.07.1984	<u>UR</u> UR	जि0सै0 क0का0, मुजफ्फरपुर।
5	पूर्व हवलदार रंधीर कुमार	श्री रामदेव प्रसाद	ग्राम—छबीलातर, पो0—लेमुआवाद, थाना—पंडारक, जिला—पटना—803221 (बिहार)।	22250268	25.10.1982	<u>UR</u> BC	जि0सै0 क0का0, दरभंगा।
6	पूर्व हवलदार मनीष कुमार	श्री रामचन्द्र खान	ग्राम + पो0—बारहषेर, थाना—बिहरा, जिला—सहरसा पिन—852124 (बिहार)।	22250842	01.01.1981	<u>UR</u> UR	जि0सै0 क0का0, पूर्वीचम्पारण।
7	पूर्व सार्जेंट कुंदन कुमार	श्री सुखदेव रॉय	ग्राम + पो0—अमखोरिया, थाना—सज्जौर, जिला—भागलपुर पिन—812006 (बिहार)।	22250901	26.10.1977	<u>UR</u> EBC	जि0सै0 क0का0, भागलपुर।

- (i) उपर्युक्त नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि समय—सीमा में सभी अभिलेखों के साथ अपने पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान के समय अभिप्रमाणित फोटोयुक्त मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (ii) संबंधित कार्यालय योगदान लेते समय शैक्षणिक, आवासीय, आरक्षण (यदि लागू हो तों) से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतिप्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही सभी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का संधारण करेंगे।
- (iii) पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में योगदान के समय विरमन आदेश/स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा। अन्यथा, उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (iv) संबंधित कार्यालय तीन माह के लिए औपबन्धिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे, तथा नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे।
- (v) प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति पत्र से कर लेंगे। इनका अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवा निवृत्ति लेखा संख्या (प्राण संख्या) आवश्यक रूप से खोल लिया जाय।
- (vi) संबंधित कार्यालय योगदान करने वाले नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों की सूचना सैनिक कल्याण निदेशालय को अविलंब उपलब्ध करायेगें।
- (vii) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ—पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- (viii) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ—पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण—पत्रों को सही मान कर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

- (ix) योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (x) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- (xi) सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अंदर उनके नाम के सामने दिये गये जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान के समय सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
- (xii) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (xiii) अभ्यर्थियों द्वारा फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (xiv) वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, का योगदान "अनुमंडल दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का शपथ-पत्र समर्पित करने उपरांत ही स्वीकृत किया जायेगा।"
- (xv) गलत तथ्यों, प्रमाण पत्रों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के नौकरी धारक को बाद में किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए बर्खास्त किया जा सकेगा। यह पद सम्पूर्ण राज्य में स्थानान्तरणीय होगा।
- (xvi) योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 443-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>